



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238649
CG-DL-E-07092022-238649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4000]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944

No. 4000]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

का.आ. 4181(अ).—केन्द्रिय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग में केंद्रीय सरकार इस प्रकार संलग्न अनुसूची के कॉलम (२) में उल्लेखित अधिकारियों को अधिकृत करती है। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी अधिनियम के तहत इस तरह के प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में निर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य में भारतमाला परियोजना चरण- II (लॉट-9 पैकेज-3) के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन (ग्रीन फील्ड) एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी रिंग रोड किमी 0+000 (बरहुली गांव के पास) से किमी 610+417 एनएच-16 (उलुबेरिया गांव के पास), हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल राज्य तक। (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य) पीआईयू वाराणसी के अंतर्गत किमी 0+000 से किमी 101+000 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन बनाने, बाईपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, और गांवों के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करती है।

अनुसूची

भारतमाला परियोजना चरण- II (लॉट-9 पैकेज-3) के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन (ग्रीन फील्ड) एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में) पीआईयू वाराणसी के अंतर्गत किमी 0+000 से किमी 101+000 तक का निर्माण के संबंध में भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिला अधिकारी (वि० / रा०) चंदौली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी. 0 से 22 तक	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चकिए	1 कुशहां
2	जिला भूअर्जन प्राधिकारी - रोहतास	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 74 से 101 तक	बिहार	रोहतास	चेनारी	1 केनार खुर्द-405
					तिलौथू	1 जरहा (258) 2 मीरा सराय (260) 3 सेउआ (261) 4 सोनौरा (262) 5 अलीनगर (263) 6 पथरा (264) 7 तिलौथु एराजी (272) 8 चेमनी चक (273) 9 तिलौथु (275) 10 बसडीहा (282) 11 केरपा (284) 12 पिरनाबीघा (285)

[फा. सं. 11015/5/PDVaranasi/Bharatmala/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

S.O. 4181(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to alignment in district, taluk, and villages mentioned in column (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Development of 4/6 lane (Green Field) access control expressway from Varanasi to Kolkata from Varanasi Ring Road Km 00.000 (near Barhuli village) to Km 610.417 NH-16, near Uluberia, Howrah District, West Bengal in the state of Uttar Pradesh ,Bihar Jharkhand and West Bengal under Bharatmala Pariyojana Phase-II (lot-9 package-3) Under PIU Varanasi Km 0+000 to KM 101+000, building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH and BIHAR

SCHEDULE

Land acquisition for Development of 4/6 lane (Green Field) access control expressway from Varanasi to Kolkata in the state of Uttar Pradesh ,Bihar Jharkhand and West Bengal under Bharatmala Pariyojana Phase-II (lot-9 package-3) Under PIU Varanasi Km 0+000 to KM 101+000 in the State of UTTAR PRADESH and BIHAR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	ADDITIONAL DISTRICT MAJISTRATE (F/R) CHANDAULI (	0KM To 22KM	UTTAR PRADESH	CHANDAULI	Chakia	1 Kusaha
2	D.L.A.O Rohtas (	74KM To 101KM	BIHAR	ROHTAS	Chenari Tilouthu	1 Kenar Khurd-405 1 Jaraha (258) 2 Mira Sarai (260) 3 Seua (261) 4 Sonaura (262) 5 Alinagar (263) 6 Pathara (264) 7 Tilauthu Arazi (272) 8 Chemni Chak (273) 9 Tilauthu (275) 10 Basdiha (282) 11 Kerpa (284) 12 Pima Bigha (285)

[F. No. 11015/5/PDVaranasi/Bharatmala/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director